



Neutral Citation No-2026:AHC:3888

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5096 वर्ष 2025

रामनाथ याचिकाकर्ता

बनाम

जिला मजिस्ट्रेट/चकबंदी उपनिदेशक एवं 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राम सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"i) रिट याचिका के प्रस्तर संख्या-8 में विस्तृत चकबंदी अधिकारी/सहायक चकबंदी अधिकारी, बांदा (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या-1 में निहित) द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 23.11.1988 के अनुसार याचिकाकर्ता के प्लॉट नंबरों को शामिल करके खतौनी को सही करने के लिए प्रतिपक्षी संख्या-1/जिला मजिस्ट्रेट/चकबंदी उप निदेशक, बांदा को आदेश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, चकबंदी प्राधिकरणों द्वारा पारित और सही खतुआनी याचिकाकर्ता को तत्काल जारी किया जाए;

ii) उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत अधिनियम की धारा 6(2) के प्रावधान का पालन करते हुए कानून के अनुसार प्रतिपक्षी संख्या-1/जिला मजिस्ट्रेट/चकबंदी उप निदेशक, बांदा को आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, 1953 और सही खतुआनी याचिकाकर्ता को तत्काल जारी किया जाए।



2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि राज्य के अधिकारी उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत अधिनियम की धारा 6(2) के तहत कानून के प्रावधानों के तहत चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 23.11.1989 के आदेश को प्रभावी नहीं कर रहे हैं।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन इकाई/गांव को यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 6(1) के तहत गैर-अधिसूचित किया गया है। यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 6(1) के तहत चकबंदी कार्रवाई को रद्द करने से पहले, चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 23.11.1989 के आदेश को अंतिम रूप दिया गया है क्योंकि इसे किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी सक्षम अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, राज्य प्राधिकरण यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 6(2) के तहत प्रतिपादित कानून के प्रावधानों के अनुसरण में भूमि अभिलेखों में उक्त आदेश को लागू करने के लिए कानूनी दायित्व के अधीन हैं।

4. स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान चकबंदी के उप निदेशक द्वारा अधिक उचित रूप से किया जा सकता है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायत दिखाते हुए पेश किए जाने वाले नए अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के संबंध में प्रतिपक्षी संख्या-1(चकबंदी के उप निदेशक) के समक्ष एक नया प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाना उचित समझता है, जैसा कि प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति और प्रस्तुत रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ, जो या तो स्वयं या सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है, कानून के अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा और निर्णय लेगा, अधिमानतः, उसके बाद तीन महीने की अवधि के भीतर, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है।

6. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 7, 2026



विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!